



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर



उपकरण - 17565

दिनांक - 21/11/2021
I.B.T.(B) 74 / 2020-21

श्री विपिन अग्रानी पुत्र श्री गिरधारीलाल अग्रानी
मूलखण्ड सं. 5, 6 व 7, भायोभाग, भैरूदास जी का नोडस
जालोरी गेट के बाहर, जोधपुर।

:::- भवन निर्माण आदेश :::-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसारिक गठित भवन निर्माण अनुज्ञा समिति की बैठक दिनांक 12.10.2020 के प्रस्ताव संख्या 14 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	बी+जी+2
कुल क्षेत्रफल	128.80 वर्ग मीटर

1. बालकौनी व छत्रजे का निर्माण नहीं करेगी।
2. प्रकौसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
3. मानचित्र एवं प्लेट में यदि चतुर्दारी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगी।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संप्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. मरिच्य में बचाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में निपनानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
11. निर्माण स्थल पर 4'X4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साबधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल मू-स्थानी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत रूपसे इस अवसर देने के पर्याप्त पारितोषिक द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूलखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व सर्वेड पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या नती 10 अधिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उलका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
14. पर आदेश नम्बरीय उच्च न्यायालय में निर्मित याद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयधीन रहेगा तथा इन्टरल-रिजिड में मास्टर प्लान के अनुसूच्य नियमों/उपनियमों को मानने के लिये संश्लेषण कर रहे।
15. मूलखण्ड के अंगूठे में 15'X13' की ऊंचाई पार्किंग है।
यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

अवेदन शुल्क- 100/- जांच शुल्क- 1,078/- नवत निर्माण शुल्क- 1,500/- मलबा शुल्क - 1,000/-
 ई.एस.यू.ई. शुल्क- 4,222/- विकास एवं संपादन शुल्क- 3,222/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 6,332/- उपकर- 34,078/- डेटालेन्ट लेवी- 8,88,844/- कुल राशि- 7,40,374/-
 लिये लिये लिये लिये 02/09/2020 दिनांक 22.12.2020, सुबका एवं अमानत शुल्क- 1,500/- जगिरे रशीद लिये लिये लिये लिये 22.12.2020 एवं नया इस्तान्तरण शुल्क- 20,411/- जगिरे रशीद लिये लिये लिये लिये 20/09/2021 दिनांक 13.01.2021 को निम्न कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति बताते हैं कि दी गई स्वीकृति के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने पर आपकी बिल्डिंग राजस्वगत भवन निर्माण अधिनियम 2006 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर गिरा गया तो पुनर्निर्माण के लिए मैं 10,000/- (दस हजार रुपये) का अनुचित जमाना

(Signature)
19.1.2021
उपसमूक
अध्यक्ष निगम जोधपुर, दक्षिण